

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / भरतपुर / 28512 / 2025 /
दिनांक:-

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र एफ 15(1) एफडी / रूल्स / 2017 / पी.टी. जयपुर दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिकों जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम | पदस्थान जिला | प्रथम नियुक्ति तिथि | एमएसीपी देय तिथि | वर्तमान पे-लेवल | देय पे-लेवल |
|----------|--|--------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 01 | बीना कुमारी महिला स्वा. कार्यकर्ता | करौली | 27.11.1996 | 27.11.2023 | L-11 | L-12 |
| 02 | लक्ष्मी देवी महिला स्वा. कार्यकर्ता | धौलपुर | 05.11.1996 | 05.11.2023 | L-11 | L-12 |
| 03 | सुमन लता महिला स्वा. कार्यकर्ता | धौलपुर | 02.11.1996 | 02.11.2023 | L-11 | L-12 |

नोट:-

- यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान है तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / भरतपुर / 28512 / 2025 / 06

दिनांक:-07.01.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी,आई.टी.सैल को वैबसाईट पर अपलोड वास्ते।
- आदेश / निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :06-01-2026 07:19:48

RajKaj Ref No.:
19707493
eSign DSC